अध्याय

7

अध्याय

7 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पश्च पर्यावरण अनापत्ति की निगरानी

7.1 प्रस्तावना

पर्यावरण अनापत्ति (ईसी), पीपीज द्वारा निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन के कार्यपालन की सहमति पर प्रदान की जाती है। एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा ईसी की शर्तों की निगरानी तथा सुझाव के रूप में दिए गए सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है तथा मध्य प्रक्रिया के दौरान सुधार का दायित्व लेना है।

एमओईएफएण्डसीसी ने वानिकी विकास परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु 1986 में बैंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ तथा शिलोंग के साथ नई दिल्ली में मुख्यालय ईकाई की स्थापना की। पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें देश में पर्यावरण प्रबंधन परियोजनाओं तथा गतिविधियों के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल है, 1988 में आरओ को, चंडीगढ़ में छः क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर, अधिक मजबूत किया गया।

लफार्ज उमियाम खनन प्राइवेट के मामलें में (अगस्त 2011), भारत के उच्चतम न्यायलय ने केन्द्रीय सरकार को लगातार निरीक्षण तथा प्रस्तावों की गहरायी से जाँच व मूल्यांकन हेतु आरओज की संख्या छः से 10 करने के निर्देश दिए जिसके अनुपालन में चार नए क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची (मार्च 2013) में खोले गए।

एमओईएफएण्डसीसी का नई दिल्ली स्थित निगरानी कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालयों को सौपे गए कार्यों के संबंध में सभी गतिविधियों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

7.2 आरओज के क्षेत्राधिकार

एमओईएफएण्डसीसी के दिनांक (जनवरी 2014) के संकल्प के अनुसार आरओज के अधिकार में पर्यावरण प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ निम्नलिखित है:-

(क) परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति देते समय निर्धारित सुरक्षा उपायों तथा शर्तों के कार्यान्वयन का अनुसरण करना;

(ख) पीपीज से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा आंकलन करना;

(ग) परियोजनाओं की पर्यावरण अनापत्ति शर्तों की साईट मुआयना द्वारा विभिन्न आकस्मिक तथा यादृच्छिक जाँच करना;

(घ) परियोजनाओ के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की प्रदूषण नियंत्रण उपायों, कार्य प्रणाली तथा स्थिति, वैध तथा प्रवर्तन उपाय, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष संरक्षण क्षेत्रों जैसे झीलों,मंग्रोव तथा जैवमंडल भंडार हेतु जानकारी का संकलन तथा प्रस्तुतीकरण;

(ङ) राज्य सरकारों के और अन्य स्टेक होल्डरो के साथ संबंध कायम रखना और संयोजन प्रदान करना।

7.3 पीपीज द्वारा अर्द्ध वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रस्तुत न करना

ईआइए अधिसूचना 2006, के अनुसार पीपीज को लिये यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे प्रत्येक कैलंडर वर्ष के 1 जून तथा 1 दिसम्बर को संबंधित आरओज/एसपीसीबीज को ईसी की पूर्व निर्धारित नियम व शर्तो की अर्ध-वार्षिक अंनुपालन रिपोर्ट की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करे। पीपीज द्वारा छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने की स्थिति में, एमओईएफएण्डसीसी को बिना किसी संदर्भ के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 352 परियोजनाओं में से, क्षेत्रीय कार्यालय वार देय एवंम प्रस्तुत अर्द्ध वार्षिकी रिपोर्टो का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया हैं।

तालिका 7.1: अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत करना (सीआर)

क्षेत्रीय कार्यालय	1 जून 2011		1 दिसम्बर 2011		1 जून 2012		1 दिसम्बर 2012		1 जून 2013		1 दिसम्बर 2013		1 जून 2014		1 दिसम्बर 2014		1 जून 2015		1st दिसम्बर 2015	
	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर
1. बंगलूरू	29	6	30	3	31	7	32	7	32	7	33	10	33	10	33	8	33	12	33	10
2. भोपाल	48 मामलों में से 22 मामलों में एक बार भी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, **26** मामलों में अनुपालन रिपोर्टें अनिरंतर अवधि में प्राप्त हुई																			
3. भुवनेश्वर	37	13	41	16	45	21	47	22	48	27	48	26	48	28	48	25	48	27	48	0
4. चेन्नई	39	2	39	1	39	4	39	5	39	3	39	11	39	9	39	1	39	9	39	4
5. चंडीगढ़	26	6	29	7	39	12	30	10	30	13	30	13	30	13	30	13	30	11	30	7
6. देहरादून	11	2	13	6	14	7	14	6	15	9	15	7	15	9	15	6	15	8	15	8
7. लखनऊ	21	9	21	9	25	11	29	12	30	9	32	13	32	13	32	11	32	10	32	11
8. नागपुर	46 मामलों में से, 15 मामलों में एक बार भी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, **31** मामलों में अनुपालन रिपोर्टें अनिरतर अवधि में प्राप्त हुई																			
9. रांची	19	7	24	6	27	12	31	14	31	17	31	14	31	14	31	16	31	15	31	0
10. शिलोंग	20	10	23	5	24	8	28	14	30	16	30	22	30	21	30	16	30	17	30	19

(डी)- देय अर्धवार्षिक रिपोर्ट (आर) - प्राप्त अर्धवार्षिक रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अर्धवार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में (जून 2015 की अनुपालन रिपोर्ट से संदर्भित) 43[28] से 78[29] प्रतिशत की कमी थी लेखापरीक्षा में आगे पाया गया अधिकतर पीपीज ने अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को नियमित तथा समय पर नहीं भेजा तथा अनुपालन रिपोर्टो के प्रस्तुत करने में एक महीने से 48 महीनों की देरी थी।

यह अवलोकन किया गया कि आरओज ने पीपीज को अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत न करने के लिए अनुस्मारक जारी नहीं किया। एमओईएफएण्डसीसी के द्वारा पीपीज के विरुद्ध उनके द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के अप्रस्तुतीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (अक्तूबर 2016) में कहा कि इन वर्षों में अनुपालन रिपोर्ट के प्राप्ति का चलन बढ़ रहा हे तथा आरओज द्वारा अनुस्मारक जारी किये जा रहे हैं।

परन्तु तथ्य यह है कि सभी पीपीज सभी न छः माही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और नियमित रूप से अनुस्मारक नहीं भेजे गए।

7.4 परियोजना प्रस्तावकों द्वारा वेबसाइट पर अर्द्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड न करना

एमओईएफएण्डसीसी के परिपत्र (जून 2009), के अनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्बंधित आरओज/ एसपीसीबीज को हार्ड कापी सोफ्ट कापी को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

352 परियोजनाओ में से हमने 25 ईसीज की रिपोर्टों को अपलोड करने की नमूना जांच की। हमने यह पाया की 10 मामलों में मत्रांलय ने पीपी को अपनी वेबसाइट पर अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करने की शर्त सम्मलित नहीं कि बाकि 15 मामलों जिन में पर्यावरण अनापत्ति में शर्त को शामिल किया गया था एक भी पीपीज ने अनुपालन रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया।

एमओईएफएण्डसीसी (अक्तूबर 2016) लेखापरीक्षा अवलोकन पर चुप था।

7.5 क्षेत्रीय कार्यालयों की पर्यावरण विगं में वैज्ञानिकों की कमी

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 31 मार्च 2015 को वैज्ञानिकों की कुल स्वीकृत संख्या 41 के प्रति 15 वैज्ञानिक तैनात थे।

[28] आरओ शिलांग (30-17)/30*100= 43 प्रतिशत

[29] आरओ चेन्नई (39-9)/39*100= 78 प्रतिशत

अतः सभी आरओज में स्वीकृत संख्या तथा कर्मचारियों की तैनात स्थिति के बीच बहुत बड़ा अंतर था। चार आरओज में से बंगलूरू, चण्डीगढ तथा देहरादून में स्वीकृत संख्या चार तथा शिलोंग में पाँच वैज्ञानिकों के प्रति एक ही वैज्ञानिकों तैनात था एमओईएफएण्डसीसी ने पर्यावरण विंग में उपयुक्त वैज्ञानिक स्टाफ की संख्या को भरने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2016) की वैज्ञानिको की नियुक्त के लिए उचित कार्यवाही की जा चुकी है जो ज्यादा परियोजनाओं की निगरानी तथा परियोजनाओं के अनुसरण में मदद करेगा।

7.6 आरओज द्वारा परियोजनाओं की निगरानी

एमओईएफएण्डसीसी तथा इसके आरओज द्वारा 1994 के अधिनियम के फलस्वरूप पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया शुरू होने से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आरओज द्वारा ए वर्ग की कुल 9,878 परियोजनाओ तथा 'बी' वर्ग की कुल 12,657 परियोजनाओ की निगरानी की जानी थी।

इनमे से, हमने 352 परियोजनाओ जिनको 2008-12 के दौरान ईसीज दी गयी की जांच की जो आरओज द्वारा निगरानी की गई थी। तालिका 7.2 में विवरण दिया गया है ।

तालिका 7.2: क्षेत्रीय कार्यालय वार अर्धवार्षिक रिपोर्ट का नमूना

क्षेत्रीय कार्यालय	वर्ग ए परियोजनाएं	वर्ग बी परियोजनाएं	लेखापरीक्षा के लिए नमूना परियोजनाए
1. बेगलूरू	1,364	क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं	33
2. भोपाल व नागपुर	1,748	1,813	94 (48+46)
3. भुवनेश्वर	960	721	48
4. चेन्नई	2,439	5,045	39
5. चंडीगढ़	868	1,303	30
6. देहरादून	250	1,250	15
7. लखनऊ	1,516	2,483	32
8. रांची	393	7	31
9. शिलोंग	340	35	30
कुल	**9,878**	**12,657**	352

जाँच से यह पता चला है कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 352 परियोजनाओ में से केवल 147 परियोजनाओ की ही आरओज द्वारा निगरानी की गई लेखापरीक्षा जांच में आरओज की निगरानी रिपोर्टो के अवलोकन में पाया कि पीपीज ने परियोजनाओ के

कार्यान्वयन के दौरान सामान्य के साथ साथ विशिष्ट पर्यावरण शर्तों का भी पालन नहीं किया तथा पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों का उल्लंघन किया। विवरण अनुलग्नक vi में दिए गए हैं। हमने यह भी पाया कि आरओज को पीपीज द्वारा पर्यावरण अनापत्ति की शर्तो के उल्लंघन पर कार्यवाही करने की शक्तिया नहीं दी गयी।

7.7 निगरानी लक्ष्यों का अव्यवहारिक निर्धारण

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा (जुलाई 2015) में जारी कार्यालय आदेश के अनुसार प्रत्येक वैज्ञानिक प्रत्येक माह पाँच पर्यावरण अनापत्ति की निगरानी करेगा। अतः प्रत्येक वैज्ञानिक द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम 60 परियोजनाओ की निगरानी की जानी चाहिए थी।

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा आरओज के लिए परियोजनाओ की निगरानी हेतु तय लक्ष्यों का विवरण तथा पिछले पाँच वर्षो में प्रत्येक आरओ द्वारा निगरानी की गई परियोजनाओ कि वास्तविक स्थिति तालिका 7.3 में दी गई है ।

तालिक 7.3 एमओईएफएण्डसीसी द्वारा तय लक्ष्यों की निगरानी

क्षेत्रीय कार्यालय	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1. बेंगलूरू	200	351	180	379	230	272	230	166	240	97
2. भोपाल	180	73	220	73	220	126	220	128	220	206
3. भुवनेश्वर	110	111	110	107	120	109	120	115	120	124
4. चेन्नई	-	-	-	-	-	-	-	224		301
5. चंडीगढ़	190	180	230	182	230	218	230	204	280	173
6. देहरादून	-	-	-	-	-	-	10	10	41	41
7. लखनऊ	200	299	200	301	240	324	240	273	220	224
8. नागपुर	जैसा ऊपर दर्शाया गया है स्थिति भोपाल के साथ विलय									
9. रांची	--	--	--	--	--	--	--	--	55	11
10. शिलोंग	40	52	80	77	90	89	75	69	40	40
कुल	**920**	**1,066**	**1,020**	**1,119**	**1,130**	**1,138**	**1,125**	**1,189**	**1,216**	**1,217**

टी- लक्ष्य, ए -प्राप्तियां

31 मार्च 2012 को 15 वैज्ञानिक तैनात थे अतः एमओईएफएण्डसीसी के मानदण्डों पर तैनाती के हिसाब से एक वर्ष में केवल 900 परियोजनाओ की निगरानी की जा सकती थी।

हमारी जाँच ने निम्नलिखित दर्शायाः

(क) 31 मार्च 2015 को बंगलौर तथा चंडीगढ़ में केवल एक वैज्ञानिक तैनात था तथा इन आरओज की उपलब्धियां क्रमश: 166 तथा 204 थी मानदण्डों के हिसाब से प्रति वर्ष प्रति वैज्ञानिक 60 होती है, जो इन के संदर्भ से 277 प्रतिशत और 340 प्रतिशत थी।

(ख) आरओ चंडीगढ़ में केवल एक वैज्ञानिक था जबकि आरओ लखनऊ में तीन वैज्ञानिक थे परन्तु परियोजनाओ की निगरानी का लक्ष्य लगभग समान था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजनाओ के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु लक्ष्यों को वास्तविकता, जनशक्ति व काम की मात्रा के संदर्भ के अलावा क्षेत्र के आकार/ पहुँच तथा परियोजनाओं की जटिलता के अनुरूप तय नहीं किया गया।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2016) कि वैज्ञानिको की नियुक्ति से अधिक परियोजनाओ की निगरानी में मदद होगी । आगे, जनशक्ति तथा कार्य की मात्रा के संदर्भ के साथ तय किए गए लक्ष्यों पर मंत्रालय चुप रहा।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आरओ भोपाल, चण्डीगढ, रांची तथा शिलोग के अलावा सभी निगरानी लक्ष्य प्राप्त किए गए। आकडों के 7.2 तालिका से मिलान करने पर यह देखा जा सकता है कि एमओईएफएण्डसीसी/ आरओ अपने अधीन सभी परियोजनाओं की निगरानी पाँच वर्षों में भी नहीं कर पाएंगे।

7.8 ईसी शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार ईसी का उल्लंघन करने पर एमओईएफएण्डसीसी को निर्देश जारी करने कि शक्ति में (क) बंद करने, निषेध या किसी उघोग संचालन या प्रक्रिया का विनियमन या (ख) बिजली या पानी का किसी अन्य सेवा कि पूर्ति का नियमन तथा बंद करने के निर्देश देने की शक्तियां भी शामिल है ।

संसदीय प्रश्न के उत्तर (जुलाई 2016) में मंत्रालय ने प्रस्तुत किया कि पिछले दो वर्षो में ईसी शर्तों के उल्लंघन के लिए एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

हमने पाया कि एमओईएफएण्डसीसी के पास क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मामलों /परियोजनाओं की संकलित सूची नहीं थी जिनमे आरओज की निगरानी/ निरीक्षण द्वारा उल्लंघनों की रिपोर्ट दी गई । वर्ष वार मामलों का आंकड़ा रजिस्टर भी नहीं बनाया गया था। लेखापरीक्षा ने चयनित परियोजनाओं की सूची जिसमे मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही तथा निगरानी रिपोर्ट की फाइल के प्रस्तुतीकरण हेतु एमओईएफएण्डसीसी को

अग्रेषित की। एमओईएफएण्डसीसी पाँच फाइलों के अलावा चयनित परियोजनाओं की फाइल प्रस्तुत नहीं कर पाया।

इन पाँच मामलों की लेखापरीक्षा समीक्षा में पाया कि तीन मामलों में पीपीज के उत्तर के अधार पर एमओईएफएण्डसीसी ने कोई कार्यवाही नहीं की थी।

मैसर्ज निरानी शुगर लिमिटेड कर्नाटक के मामले में एमओईएफएण्डसीसी ने पीपी को अक्तूबर 2015 में ईसी की शर्तो के उल्लंघन की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन पीपी ने जुलाई 2016 तक कोई उत्तर नहीं दिया/ पालन नहीं किया था।

एक और मामले **मैसर्ज कैलाशपति सीमेंट (पी) लिमिटेड** द्वारा सामान्य तथा विशिष्ट शर्तो जैसे भट्टा से उत्पादित गैसों का पूर्ण उपयोग, अंतप्रवाही तथा प्रवाही सतहों की नियमित निगरानी, निर्धारित 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट का गैर-विकास, ईएसआर के अधीन पाँच प्रतिशत का आबंटन, सीटओ की चूक इत्यादी का अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि दिसम्बर 2015 में मामला कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया था परन्तु एमओईएफएण्डसीसी द्वारा इस पर रोक लगा दी गयी। एमओईएफएण्डसीसी द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आगे, एमओईएफएण्डसीसी ने अपने आप 13 फाइले प्रस्तुत की जिनमे अगस्त 2015 तथा दिसम्बर 2015 के बीच कारण बताओ नोटिस जारी किये गए थे। इन फाइलों की जाँच से यह उजागर होता है कि आठ मामलों में 15 जुलाई 2016 तक एमओईएफएण्डसीसी में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा एमओईएफएण्डसीसी द्वारा पीपीज कि गलतियों के लिए कोई अनुस्मारक जारी नहीं किया गया **। मैसर्ज एमआईडीसी तारापुर, महाराष्ट्र** तथा **मैसर्ज गैल्लेंट मेटल लिमिटेड, गुजरात** के दो मामलों में पीपीज द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट/ प्रस्तुत उत्तर को एमओईएफएण्डसीसी/ आरओज द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। एक और **मैसर्ज रोवाले बोक्साइट खदान, रोपाली, रत्नागिरि** के मामले में पीपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर असंतुष्टिप्रद था लेकिन एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई अनुस्मारक जारी नहीं किया गया।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2016) की **मैसर्स निरानी शुगर लिमिटेड कर्नाटक** को अनुस्मारक जारी किया जा चुका था तथा **मैसर्स कैलाशपति सीमेंट (पी) लिमिटेड** के मामले में एमओईएफएण्डसीसी ने आरओ को नए सिरे से निरीक्षण करने का अनुरोध किया। आगे, मैसर्स एमआईडीसी, तारापुर, महाराष्ट्र तथा **मैसर्स गैल्लेंट मेटल लिमिटेड, गुजरात** के संबंध में यह कहा गया कि पीपीज द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण संतुष्टिप्रद पाया गया इसलिए आरओज द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

7.9 उपसंहार

आरओज यह सुनिश्चित नहीं कर रहे थे कि पीपी अर्ध वार्षिकी अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से और समय पर नहीं भेज रहे थे। पीपी अर्ध वार्षिकी अनुपालन रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे थे।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिको की स्वीकृत सख्या की तुलना में तैनाती के बीच व्यापक अन्तर था। नतीजतन, एमओईएफएण्डसीसी/ आरओ अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी परियोजनाओ की निगरानी पाँच साल की अवधि में भी करने में सक्षम नहीं होगे।

आरओज को पीपीज द्वारा चूक करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई शक्ति नहीं सौंपी गयी थी और उनको ईसी की स्थति के उल्लंघन की रिपोर्ट मंत्रालय को करनी थी। मंत्रालय के पास आरओज द्वारा सूचित किये गए उल्लंघन के मामलों का एक डाटाबेस नहीं था। एमओईएफएण्डसीसी द्वारा ईसी की शर्तो का उल्लंघन करने के लिए पिछले दो साल में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

7.10 सिफारिशें

हम सिफ़ारिशें करते है कि,

i. एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालना रिपोर्टे नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वारा अपनी वैबसाइटों पर अपलोड की जाएं।

(पैराग्राफ 7.3 तथा 7.4)

ii. एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें।

(पैराग्राफ 7.5)

iii. दोषी पीपी के विरुद्ध कार्र्वाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओ को अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए।

(पैराग्राफ 7.6)

iv. एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाएं और लगातार निगरानी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तो का पालन करें और कानून के मुताबिक कर्रवाई करें।

(पैराग्राफ 7.8)